

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 38/2019

निर्णय दिनांक - 09.05.2019

बंशी लाल पिता किशनलाल जाति गायरी आयु वयस्क निवासी टिलाखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

- प्रार्थी

//बनाम//

1. शोभा राम पिता श्री नन्दलाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पेमदिया खेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. मुन्नाबाई पत्नि सुरजमल जाति गायरी आयु वयस्क निवासी टीलाखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. संतोष बाई पत्नि निर्भयराम जाति गायरी आयु वयस्क निवासी टीलाखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. रामकन्या पत्नी बद्रीलाल जाति गायरी आयु वयस्क निवासी टीलाखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
5. सुगना बाई पत्नी पवन कुमार जाति गायरी आयु वयस्क निवासी टीलाखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
6. भेरूसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी पेमदियाखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
7. मनोहर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी पेमदियाखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
8. दलीचन्द पुत्र मांगीलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी पेमदियाखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
9. देवीलाल पुत्र श्री नन्दा जाति गायरी आयु वयस्क निवासी कृपाराम की खेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा पेमदियाखेडा पटवार हल्का टाई तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 22 की आराजी नं0 287 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे0मु0चाह0 व आराजी न0 288 रकबा 2.2400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा पेमदियाखेडा पटवार हल्का टाई तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थीया के खातेदार व कब्जे की खाता संख्या 22 की आराजी नं0 287 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे0मु0चाह0 आराजी न0 288 रकबा 2.2400 भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

